न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 38/2019 अपील

1.बसन्ती लाल पुत्र गोपाल लाल शर्मा निवासी नीम का खेडा हाल नया रायसिंहपुरा तहसील बनेडा	बनाम राजस्थान राज्य मार्फत हल्का पटवारी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी	– प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार, बनेडा प्रकरण संख्या 83/2019 कार्यवाही अन्तर्गत धारा– 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांकित 28.01.2019

उपस्थित –
1. श्री रवि ओझा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषाक – प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार बनेडा प्रकरण सं. 83/2019 निर्णय दिनांक 28.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायसिंहपुरा तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 933 किस्म चारागाह भूमि आबादी से सटी होकर उस पर भील, कालबेलिया, भाट आदि अनुसूचित जाति, जनजाति व घूमन्तु परिवारों के मकान, बाडे, बने हुए है। अपीलांट गरीब परिवार को होकर उसका भी मौके पर एक बाडा है, जिनको आबादी में संपरिवर्तित करा पट्टा जारी कराने का प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार से श्रीमान् को भिजवाया हुआ है। अपीलांट के उपरोक्त बाडे के बारे में आधा ट्रोली ईंट व पत्थर से अवैध तरीके से कब्जा करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का बरण द्वारा पेश करने के आधार पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का बरण की रिपोर्ट के विपरीत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए फसल जब्त सरकार कर निलाम किये जाने व शास्ति लगान का 50 गुना आरोपित करने का आदेश दिनांक 28.01.2019 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस में नींव खोदकर, ईंट पत्थर डालकर, अन्दर पक्का मकान के बारे में रिपोर्ट की है, जिसमें जिसमें अपीलांट द्वारा फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना तरीके से बिना कोई साक्ष्य लेखबद्ध किये, एवं जारी नोटिस के विपरीत अपीलांट को भूमि पर फसल कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखल व जुर्माने से दण्डित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस में अंकित अभिवचनों एवं दस्तावेजों

पर कोई विचार नही नहीं किया। अतिक्रमित भूमि के पडोस आदि का भी कोई विवरण पत्रावली पर पेश नही हुआ, इस प्रकार अपीलांट के कब्जे सुदा कौनसी है, व किस भूमि कौनसी है, व किस भूमि से बेदखली की कार्यवाही की जानी है, निर्णय में स्पष्ट नहीं है। अपीलाधीन निर्णय, स्पिकिंग ऑर्डर नही होने से भी अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का बरण की रिपोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में अंकित तथ्यों के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं हुई, इस प्रकार पटवारी हल्का बरण की रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में अंकित तथ्यों के कत्तई साबित नहीं होते हुए भी अपीलांट की बेदखली का आदेश देने व जुर्माने से दण्डित करना मूलतः अवैध, विधि विरूद्ध एवं गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने शिकायत कुनिन्दा हल्का पटवारी के बयान अपीलांट के रूबरू लेखबद्ध नहीं किये तथा अपीलांट को उससे जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पटवारी में अंकित तथ्य अपीलाण्ट के विरूद्व विधिनुसार साबित नही कराये जाने से अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 28.01.2019 को अपास्त किया जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रकरण संख्या 07/2019 दिनांक 11.03.2019 से दर्ज की गयी। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 750 दिनांक 08.11.2019 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 20.11.2019 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रायसिंहपुरा तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 933 किस्म चारागाह भूमि आबादी से सटी होकर उस पर भील, कालबेलिया, भाट आदि अनुसूचित जाति, जनजाति व घूमन्तु परिवारों के मकान, बाडे, बने हुए है। अपीलांट गरीब परिवार को होकर उसका भी मौके पर एक बाडा है, जिनको आबादी में संपरिवर्तित करा पट्टा जारी कराने का प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार से श्रीमान् को भिजवाया हुआ है। अपीलांट के उपरोक्त बाडे के बारे में आधा ट्रोली ईंट व पत्थर से अवैध तरीके से कब्जा करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का बरण द्वारा पेश करने के आधार पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का बरण की रिपोर्ट के विपरीत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए फसल जब्त सरकार कर निलाम किये जाने व शास्ति लगान का 50 गुना आरोपित करने का आदेश दिनांक 28.01.2019 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व जारी नोटिस में नींव खोदकर, ईंट पत्थर डालकर, अन्दर पक्का मकान के बारे में रिपोर्ट की है, जिसमें जिसमें अपीलांट द्वारा फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना तरीके से बिना कोई साक्ष्य लेखबद्ध

किये, एवं जारी नोटिस के विपरीत अपीलांट को भूमि पर फसल कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखल व जुर्माने से दण्डित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतिक्रमित भूमि के पडोस आदि का भी कोई विवरण पत्रावली पर पेश नही हुआ, इस प्रकार अपीलांट के कब्जे सुदा कौनसी है, व किस भूमि कौनसी है, व किस भूमि से बेदखली की कार्यवाही की जानी है, निर्णय में स्पष्ट नहीं है। अपीलाधीन निर्णय, स्पिकिंग ऑर्डर नही होने से भी अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 28.01.2019 को अपास्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा के आराजी नं. 933 रकबा 0.02 बीघा पर दौराने संवत् 2075 मे अनाधिकृत रूप से नीवें खोदकर, आधा ट्रोली ईंट व पत्थर डालकर अतिक्रमण किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पारित निर्णय अनुसार उक्त आराजियात से अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश व शास्ति लगान का 50 गुणा अधिरोपित कर वसूलने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया है, जो सही है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम रायसिंहपुरा के आराजी नं. 933 रकबा 7.12 बीघा किस्म चरागाह भूमि मे से 0.02 बिस्वा पर दौराने संवत् 2075 मे अनाधिकृत रूप से बसन्तीलाल पिता गोपाल लाल शर्मा निवासी नीम का खेडा हाल नया रायसिंहपुरा द्वारा नीवें खोदकर, आधा ट्रोली ईंट व पत्थर डालकर अतिक्रमण किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पारित निर्णय अनुसार उक्त आराजियात से अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश व शास्ति लगान का 50 गुणा अधिरोपित कर वसूलने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया हैं, जो विधि सम्मत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 83/2019 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 18:43:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: